




न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

नन्द किशोर गोमू वगैरे बनाम महावीर गोमू वगैरे

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	<p>अगिलेख सं०-एम.....०४.../२०१४ धारा-१०७ द०प्र०सं० थाना प्रगारी <u>खोनारातु (रहे को.पी०)</u> के अप्राथमिकी सं०-०१/१४ दिनांक-१७-०१-१४ प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>खोनारातु (रहे को.पी०) थाना कांड सं० २/१४ दिनांक १४/१/१४ धारा ३५१/३२३/३७९/३५ १.०.०. एवं खनारा सं० ४/१४ की लेकर उभय पक्ष में वनाव है।</u></p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति मंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति मंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-१०७ के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को १०००(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अगिलेख तिथि <u>२३-०२-१४</u> को उपस्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> </div> <p style="text-align: center;">अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष उपस्थित। उभय पक्ष वनाव दाखिल करे। दिनांक १२-०३-१४ को रखे।</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">  २३/२/१४ </div>	

23-02-18

तिथि

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

07-09-18

अभिलेख उपर्युक्त 1 प्रथम पत्र
क्रमांक 01, 02 उपर्युक्त क्रमांक 03 अधिवक्ता
द्वारा दिनांक 01 उपर्युक्त क्रमांक
02, 03 अधिवक्ता द्वारा

उक्त वाद में 6 (छः) माह की
अवधि पूरी हो चुकी है अतः वाद नालवाधित
हो गया है। अतः वाद में अभिलेख की
कारवाही बन्द की जाती है।
लेखापत्र एवं संशोधित


07/09/18

कार्यपालक दंडाधिकारी
बृहद (रांची)


07/09/18

कार्यपालक दंडाधिकारी
बृहद (रांची)